न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 07/2020

तारीख रजू:— 10.07.2020

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. धनसी पुत्र शिवलाल
2. काडी पुत्री शिवलाल
3. चंदरी पुत्री शिवलाल
4. मंन्ती पुत्री शिवलाल
5. लोहडी पुत्री शिवलाल
6. सोमोती पुत्री शिवलाल
7. गेंदी पत्नि स्व0 शिवलाल

समस्त जाति मीना निवासी मॉचडी तहसील टोडाभीम

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. गोपीसहाय पुत्र विशन्या
2. जगराम पुत्र विशन्या
3. रामकिशोर पुत्र विशन्या
4. रामप्रसाद पुत्र विशन्या
5. हरगोविन्द पुत्र विशन्या
6. सन्ती पुत्री विशन्या
7. सभोदरा पुत्री विशन्या
8. सिया पुत्री विशन्या

समस्त जाति मीना निवासी मांचडी तहसील टोडाभीम।

9. कान्ता पुत्री गोविन्द सहाय
10. भोली पुत्री गोविन्द सहाय
11. मीरा पुत्री गोविन्द सहाय
12. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोविन्दसहांय
13. भरती पुत्री गोविन्दसहाय
14. शांति पत्नि गोविन्दसहाय
15. शिम्भूदयाल पुत्र बंशी

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मॉचडी तहसील टोडाभीम

16. मल्ला पत्नि हरगोविन्द जाति मीना
17. लोहडसी पत्नि शिवचरण जाति मीना
18. सरूपी पत्नि रामगोपाल जाति मीना
19. अल्लानूर पुत्र गेन्दा जाति तेली मुसलमान
20. ईदू पुत्र गफूर जाति तेली मुसलमान
21. फजलू पुत्र गफूर जाति मेली मुसलमान
22. हुसैनी पुत्र उम्मेद
23. दौलत खॉ पुत्र धान्धू जाति मुसलमान
24. मदीना पुत्र धान्धू
25. रेशम पुत्र धान्धू
26. सलीम खॉ पुत्र धान्धू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:17 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0ः– 07/2020

27. नब्बू पुत्र अल्लादीन
28. बाबू पुत्र अल्लादीन
29. मुंशी पुत्र अल्लादीन
30. बसन्ती पत्नि अल्लानूर
31. विसमल्ला पत्नि रमजानी
32. भुल्ला पुत्र रमजानी
समस्त निवासीयान मॉचडी तहसील टोडाभीम।
33. तहसीलदार टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

उपस्थिति :– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट प्रार्थीगण
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः– 28.06.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेंप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मॉचडी स्थित ख0न0 886/1184/0.09 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। जिसका तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 12.06.2020 को सीमाज्ञान कर निशानात कायम किये गये लेकिन उक्त निशानात को अप्रार्थी न0 1 ता 5 द्वारा हटा दिये गये है। जिससे आये दिन मौके पर विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण के खर्चे पर कराया जाना आवश्यक है।

यह है कि उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थर गढी करने तहसीलदार टोडाभीम के यहा गया तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इस कारण यह प्रार्थना पत्र पत्थर गढी पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 886/1184/0.09 है0 भूमि के पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 6 ता 15 व 17 ता 29 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 5 व 16 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढी गलत व मनगढंन्त पेश किया है। जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया कि ग्राम माचडी के ख0न0 886/1184/0.09 है0 मे पूरे रकबे मे पुख्ता कुआ बना हुआ है तथा उसके पास अगवान बनी हुई है। तथा उक्त ख0न0 की खातेदारी पूर्व मे बंशीधर ब्राह्मण के नाम थी। जिसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविन्द सहाय, शिम्भूदयाल वगै0 के नाम आ गई है। जिसमे गैरसायलान ने ख0न0 883 रकवा 0.28 है0 मे 1/4 हिस्सा रामप्यारी पत्नि विशन्या के नाम खरीद कर लिया है तथा ख0न0 883/0.28 है0 मे 1/2 हिस्सा रामप्यारी पत्नि विशन्या ने क्रय कर लिया है। तथा ख0न0 886 रकवा 0.61 है0 मल्ला पत्नि हरगोविन्द व गोपीसहाय पुत्र विशन्या, रामकिशोर पुत्र विशन्या, रामप्रसाद पुत्र विशन्या, सन्ती पुत्री विशन्या, सभोदरा पुत्री विशन्या, सिया पुत्री विशन्या, हरगोविन्द पुत्र विशन्या के क्रय किया है। सायल ने ख0न0 886/1184 गै0मु0चाह की रजिस्ट्री उसके स्वयं के नाम क्रय किया है। जिसमे अन्य सभी अप्रार्थीगण वर्षो से सिचाई करते चले आ रहे है। तथा पुख्ता बाउन्ड्री करके उसमे निर्माण करना चाहते है। सायल ने एक दावा बावत तकास्मा आराजीयात मय प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। जो माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं बदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

जबकि तक बटवारा नही हो जाता कानूनी रूप से प्रार्थी... जाकर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नही है।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मॉचडी स्थित ख0न0 886/1184/0.09 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। जिसका तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 12.06.2020 को सीमाज्ञान कर निशानात कायम किये गये लेकिन उक्त निशानात को अप्रार्थी न0 1 ता 5 द्वारा हटा दिये, जिससे आये दिन मौके पर विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण के खर्चे पर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2020 अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढी गलत व मनगढंन्त पेश किया है। ग्राम माचडी के ख0न0 886/1184/0.09 है0 मे पूरे रकवे मे पुख्ता कुआ बना हुआ है तथा उसके पास अगवान बनी हुई है। तथा उक्त ख0न0 की खातेदारी पूर्व मे बंशीधर ब्राह्मण के नाम थी। जिसके बाद उसके वारिसान के नाम आ गई है। सायल ने ख0न0 886/1184 गै0मु0चाह की रजिस्ट्री उसके स्वयं के नाम करा ली है। जिसमे अन्य सभी अप्रार्थीगण वर्षो से सिचाई करते चले आ रहे है। तथा सायल पुख्ता बाउन्ड्री करके उसमे निर्माण करना चाहते है। सायल ने एक दावा बावत तकास्मा आराजीयात मय प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। जो माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। जब तक बटवारा नही हो जाता कानूनी रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायोचित नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 886/1184 है0 मे प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 886/1184 है0 का तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 12.06.2020 को सीमाज्ञान किया गया है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने पत्रांकः– 388 दिनांक 18.06.2024 अनुसार अनापत्ति जाहिर की है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर ग्राम माचडी के खसरा नम्वर 886/1184 रकवा 0.09 है0 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस जाप्ता प्राप्त कर पत्थर गढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested